राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13 / 2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम फूलचंद अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 201

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोंडेण्ट्स :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली राज.		1. फुलचंद पुत्र अचलाराम के कायम मुकाम :– 1.1 कन्या पत्नी फुलचंद जाति लुहार निवासी ढोला जागीर तहसील सुमेरपुर

अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 551 / 2, 559 / 968, 578 / 1001 रकबा क्रमशः 0.07 हैक्टेयर, 0.6300 हैक्टेयर, व 0.5000 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त कर बहक राजस्थान सरकार दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया।

उपस्थिति :–

1. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 06.01.2026

प्रार्थी तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 551 / 2, 559 / 968, 578 / 1001 रकबा क्रमशः 0.07 हैक्टेयर, 0.6300 हैक्टेयर, व 0.5000 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त कर बहक राजस्थान सरकार दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 14.02.2013 में फुलचंद पुत्र अचलाराम जाति लुहार निवासी ढोला जागीर को ग्राम ढोला जागीर के खसरा नम्बर 551 / 2, 559 / 968, व 578 / 1001 रकबा क्रमशः 0.07 हैक्टेयर, 0.6300 हैक्टेयर, व 0. 5000 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1163 द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी / आवंटी का आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा / काश्त नहीं है एवं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है। यह भी कि पटवारी हल्का ढोला की रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी के वारिसान का कब्जा / काश्त नहीं होने से आवंटन नियम की धारा 14 (4) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी पेश कर निवेदन है कि आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं किया जाने से मौजा ढोला जागीर के खसरा नम्बर 551 / 2, 559 / 968, व 578 / 1001 रकबा क्रमशः 0.07 हैक्टेयर, 0.6300 हैक्टेयर, व 0.5000 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि बहक राजस्थान सरकार दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली. जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13 / 2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम फूलचंद अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। तामील कुनिन्दा से अप्रार्थी फुलचन्द की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ज़रिए पत्रांक / राजस्व / 2021 / 725 दिनांक 03.06.2021 अवगत करवाया गया कि अप्रार्थी फुलचन्द के वारिसदारों में केवल उनकी धर्मपत्नी कन्या ही है एवं अन्य पुत्र पुत्रियाँ नहीं है। अतः श्रीमती कन्या पत्नी फुलचन्द को पक्षकार संयोजित कर ज़रिए सम्मन तलब किया गया। श्रीमती कन्या पत्नी फुलचन्द की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने दिनांक 05.08.2025 को वकालतनामा पेश किया।

आज पत्रावली बहस में नियत है तथा अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी श्रीमती कन्या ने उपस्थित होकर लिखित सूचना दी कि अप्रार्थीया श्रीमती कन्या पत्नी फुलचन्द की भी मृत्यु हो चुकी है। उपस्थित सरकारी पैराकार ने ज़ाहिर किया कि स्व. फुलचन्द एवं श्रीमती कन्या के कोई जायन्दा पुत्र पुत्रियाँ नहीं है तथा उक्त दोनों की भी मृत्यु हो चुकी है। ज़ैर अपील आवंटित भूमि मौजा ढोला जागीर खसरा संख्या 551 / 2, 559 / 968, व 578 / 1001 पर आवंटी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है, अतः उक्त भूमि पुनः राजकीय खाते में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तर्क पर मनन किया गया।

मौजा ढोला जागीर की कृषि आराजी खसरा संख्या 551 / 2, 559 / 968 तथा 578 / 1001 श्री फूलचंद लोहार के पक्ष में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानान्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.02.2013 को आवंटित की गई। प्रार्थना पत्र के सलंग्न गिरदावरी संवत् 2072 से 75 तथा तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक / 1509 दिनांक 21.09.2021 से यह ज़ाहिर होता है कि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। इसके अतिरिक्त मूल आवंटी श्री फुलचन्द तथा उनकी पत्नी श्रीमती कन्या, दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थी द्वारा प्रदत सूचना अनुसार उनके कोई जायन्दा वारिसदार भी नहीं है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने भी मूल आवंटी एवं श्रीमती कन्या के अन्य कोई वारिस होने की सूचना नहीं प्रदान की है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (i) में भी यह उपबन्ध है कि The interest of tenant in his holding or a part thereof as the case may be. shall be extinguished

(i) When he dies leaving no heir entitled to merit in accordance with the provisions of this Act

"(1) किसी अभिधारी का, अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग में का हित, यथास्थिति, तब निर्वापित हो जायेगा–

(i) जब वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विरासत का हकदार वारिस छोडे बिना मर जावें,"

सारांशतः, वक़्त आवंटन से ही प्रश्नगत भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होने, आवंटी व उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने तथा अन्य कोई वारिस नहीं होने से प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा मौज़ा ढोला जागीर के खसरा संख्या 551 / 2, 559 / 968 तथा 578 / 1001 का स्व. फुलचन्द के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 13 / 2024

उनवान : तहसीलदार सुमेरपुर बनाम फूलचंद अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत

साथ ही, तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दिए जाते है कि ज़ैर अपील भूमि का कब्जा प्राप्त कर राजस्व अभिलेख में मिल्कियत सरकार के पक्ष में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें। तथा माफिक निर्णय आगामी पन्द्रह रोज में पालना प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक **06.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner